

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 03-12-2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-001-निदेशन और प्रशासन-0001 स्वास्थ्य निदेशालय विपत्र कोड- 20-2210010010001 शीर्षान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न इकाईयों में कुल ₹22,60,000/- (बाईस लाख साठ हजार ₹0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-02(7)ब दिनांक-28.05.2018 एवं 38(7)ब दिनांक-01.10.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न इकाईयों में कुल ₹22,60,000/- (बाईस लाख साठ हजार ₹0) मात्र का आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-001-निदेशन और प्रशासन-0001 स्वास्थ्य निदेशालय विपत्र कोड- 20-2210010010001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना विन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

4. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकुल नियुक्त पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित की जायगी तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे।

6. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा।


7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8. यह मात्र आवंटन है इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. आवंटित राशि का व्यय विवरणी टी०भी०नम्बर एवं तिथि के साथ निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक उपलब्ध करायी जाय।

10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव



उपबंध एवं आवंटन की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	कुल आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल योग	अवशेष राशि
				अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना		
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	182000000	172900000	0	172900000	9100000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	18000000	17280000	0	17280000	720000
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	30669000	30055620	0	30055620	613380
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	2868000	2753280	0	2753280	114720
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	2840000	2726400	0	2726400	113600
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	5290000	5078400	0	5078400	211600
7	त्यौहार अग्रिम (0001-01-08)	500000	0	0	0	500000
	योग-20-2210.01.001.0001.01 वेतन:-	242167000	230793700	0	230793700	11373300
8	पुरस्कार (0001-05-01)	6000	6000	0	6000	0
9	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	2000000	2000000	0	2000000	0
10	यात्रा व्यय (0001-11-01)	1000000	720000	280000	1000000	0
11	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	4000000	3520000	480000	4000000	0
12	वाहन का इंधन एवं रख-रखाव (0001-13-02)	1000000	500000	500000	1000000	0
13	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	100000	70000	0	70000	30000
14	विधि प्रभार (0001-13-05)	2000000	1500000	500000	2000000	0
15	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	200000	190000	0	190000	10000
16	भाड़े की गाड़ी का भुगतान (0001-13-10)	1000000	1000000	0	1000000	0
17	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	1000	0	0	0	1000
18	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	3270000	0	0	0	3270000
19	संविदा सेवाएँ (0001-28-02)	15000000	15000000	0	15000000	0
20	सहायक अनुदान-गैर वेतन (0001-31-06)	1000	0	0	0	1000
21	सब्सिडी (0001-33-01)	25000000	0	0	0	25000000
22	मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)	1000000	500000	500000	1000000	0
	कुल योग:-	297745000	255799700	2260000	258059700	39685300

(बाईस लाख साठ हजार रू०) मात्र

Qg/1/18

सरकार के विशेष सचिव
स्ती

ज्ञापांक : 59(7)A

पटना, दिनांक : 03-12-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / वित्त विभाग, बजट शाखा / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के सचिव / अवर सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी-7 कार्यवाह सहायक / आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / लेखा शाखा को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Qg/1/18

सरकार के विशेष सचिव
स्ती